मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद थे।

उद्यमी, निवेशक व युवा एआई के उभरते क्षेत्र में राज्य के सहभागी बनें- भजनलाल

इलैक्ट्रोनिक्स को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा- वैष्णव

जयपुर, 6 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है और विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने उद्यिमयों, निवेशकों और युवाओं को एआई के उभरते क्षेत्र में सहभागी बनने के लिए राजस्थान में आमंत्रित भी किया।

केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि एआई विकास के क्षेत्र में भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। चीन, अमेरिका और भारत एआई डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

- **एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय सूचना प्रोद्यौगिक मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि भारत शीघ्र ही एक वैश्विक एआई शिखर का आयोजन करेगा, जिसमें अनेक देश, वैश्विक कंपनियां व तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे।**

अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संगठनों के सहयोग से नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 5 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, आने वाले समय में राजस्थान में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए शीघ्र ही आवश्यक प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत में शीघ्र ही एक वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में विश्व के अनेक देशों, वैश्विक कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट एलएमएस, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल, राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ योजना भवन में हुए विभिन्न द्विपक्षीय एमओयू का होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से जीवंत प्रसारण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि जी-20 में भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया था।

नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को कैद

जयपुर, 6 जनवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने अपनी 9 साल की नाबालिग पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पिता कोऑऑऑ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की मां

- **मां पीहर गई, पीछे से अभियुक्त पिता ने यहाँ रिश्तों को तार-तार किया।**

अपनी बेटी को अभियुक्त के पास इस विश्वास के साथ छोड़कर पीहर गई थी कि वह उसके पास सबसे अधिक सुरक्षित रहेगी, लेकिन अभियुक्त ने भक्षक बनकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि गत 6 मार्च को पीड़िता ने अपनी मकान मालकिन के साथ प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मां तीन दिन पहले उसे पिता के पास छोड़कर अपने पीहर गई थी। रात के समय उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और सुबह स्कूल छोड़कर आ गए। अगली रात को भी पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन जब उसकी आंटी गांव से आई तो उसने पिता की ओर से गंदा काम करने की बात बताई। इस पर आंटी ने पुलिस को फोन कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं, दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके कारण वह उसे छोड़कर पीहर चली गई थी। इस विवाद के चलते उसने पीड़िता के माध्यम से उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है और जांच अधिकारी ने साक्ष्य स्वयं सृजित किए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

'विशेषज्ञों की बैठक तत्काल बुलाकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें'

सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर फटकारा

नयी दिल्ली, 06 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में लगातार बनी वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने में कथित उदासीनता को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आयोग को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञों की एक समन्वित बैठक तत्काल बुलाए और उसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अदालत और जनता के समक्ष प्रस्तुत करे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंगलवार को कहा कि प्रदूषण के स्रोतों और उनके अनुपातिक योगदान को लेकर विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों के बीच कोई एकरूपता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थानों सहित अलग-अलग विशेषज्ञ निकायों ने उत्सर्जन क्षेत्रों के योगदान को लेकर काफी भिन्न-भिन्न आकलन प्रस्तुत किए हैं।

पीठ ने उदाहरण देते हुए कहा कि एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता में परिवहन और उत्सर्जन क्षेत्र का योगदान अलग-अलग आकलनों में 12 प्रतिशत से लेकर 41 प्रतिशत तक बताया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि बीते वर्षों में कई उपाय किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है और कुछ मामलों में स्थिति और अधिक बिगड़ी है।

न्यायालय ने कहा कि वह लंबे समय से इस मुद्दे को समय-समय पर उठाने को मजबूर रहा है और विशेषज्ञों तथा न्यायमित्र की सहायता भी ली गयी, लेकिन इसके बावजूद कोई स्थायी सुधार नहीं दिखा। पीठ ने 17 दिसंबर 2025 के अपने पूर्व आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय सीएक्यूएम को दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों पर पुनर्विचार कर उन्हें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आयोग ने ठोस कार्ययोजना के बजाय केवल एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

- **अदालत ने कहा कि गत वर्षों में कई उपाय किये जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। कुछ मामलों में तो स्थिति पहले से अधिक बिगड़ी है।**

उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह नोट प्राधिकरण की गंभीरता को नहीं दर्शाता और न्यायालय द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर मौन है। पीठ ने यह भी कहा कि सीएक्यूएम न तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के बिगड़ने के सटीक कारणों की पहचान करने में तत्पर दिख रहा है और न ही दीर्घकालिक समाधान तैयार करने में, जिससे अदालत को दोनों प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश देने पड़े।

शनिवार को कार्यदिवस : हाई कोर्ट ने जजों की कमेटी बनाई

जयपुर, 6 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में हर माह के दो शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने के खिलाफ वकीलों के विरोध को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने जजों की कमेटी गठित करने की बात कही है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर और जोधपुर की हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के साथ इस संबंध में बैठक की। बैठक में बार कांउसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा भी मौजूद रहे।

बैठक में बार पदाधिकारियों ने शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने

- **कमेटी 21 जनवरी तक अपनी सिफारिश देगी।**

को अव्यवहारिक और परेशानियां पैदा करने वाला बताया।

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने कहा कि मलीमत कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, हाईकोर्ट में साल के 210 कार्यदिवस निर्धारित हैं। ऐसे में इसमें बदलाव के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है।

वहीं, जोधपुर बार पदाधिकारियों ने इसे इकतरफा फैसला बताते हुए वापस लेने की मांग की। एक पूर्व अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि रोजाना होने वाली सुनवाई का समय आधा घंटा बढा दिया जाए।

हाईकोर्ट बार महासचिव दीपेश शर्मा ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में एक कमेटी गठित कर उससे 21 जनवरी तक सिफारिश लेने का आश्वासन दिया है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की बैठक में हर माह के दो शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद साल 2026 के कैलेंडर को संशोधित भी किया जा चुका है।

वहीं साल के पहले दिन पांच जनवरी को वकीलों ने इसका विरोध करते हुए अपने आप को न्यायिक कार्रवाई से दूर रखा था।

वरिष्ठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहुंचे। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों की जांच के बीच, अप्रैल 2011 में उनकी पार्टी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी।

वे पुणे सीट से तीन बार लोकसभा सांसद भी रहे। वे पहली बार 1996 के आम चुनाव में 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए, फिर 2004 में 14वीं लोकसभा और 2009 में 15वीं लोकसभा में पहुंचे, जो 2014 तक चली। 25 अप्रैल 2011 को सुरेश कलमाड़ी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन-सीबीआई) ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में गिरफ्तार किया था।

एक जनवरी से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2028 में होने हैं और पार्टी को खुद को सत्ता का मजबूत दावेदार बनाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब तक वेणुगोपाल दिल्ली में ताकतवर बने रहेंगे, पार्टी कई राज्यों में अपने पैर नहीं जमा पाएगी। सचिन पायलट के लिए अपनी बात मनवाना मुश्किल होगा, क्योंकि राहुल गांधी पर वेणुगोपाल का प्रभाव अब भी बहुत मजबूत और व्यापक है।

एक अन्य एवं सम्बन्धित घटनाक्रम में, अशोक गहलोत 1 जनवरी से मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, जब नया साल शुरू हुआ था।

गहलोत का काफी पैसा मुंबई में लगा हुआ है और जब वे वहां इतना समय बिताते हैं, तो इसका मतलब है कि वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं।

गहलोत अप्रैल में राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर नजर लगाए हुए हैं और सवाल यह है कि क्या इसके लिए बड़े फंड जुटा रहे हैं, क्योंकि वे अब दिल्ली आने और उपयुक्त पद पाने के लिए बेताब हैं।

एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया कि वेणुगोपाल, जो अब भी अशोक गहलोत का समर्थन करते हैं, ने राहुल गांधी को यह बात अच्छी तरह समझा दी है कि गहलोत को दिल्ली लाना जरूरी है, ताकि राज्य की बागडोर पूरी तरह से दूसरे नेताओं के लिए छोड़ी जा सके।

और राहुल गांधी, जो किसी भी अहम मुद्दे की गहराई में नहीं जाते हैं, वेणुगोपाल की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं।

निचोड़ यह है कि राजस्थान कांग्रेस इस समय पूरी तरह अव्यवस्था की स्थिति में है।

आपस में टकराते हित पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और नेतृत्व को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। और सचिन पायलट का निकट भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है।

उत्तर प्रदेश की नई मतदाता सूची में 2.89 करोड़ नाम घटे

मसौदा सूची पर 6 फरवरी तक आपत्तियां दाखिल की जायेंगी, नई सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी

लखनऊ, 6 जनवरी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत मंगवार को जारी नयी सूची के मसौदे में पिछली सूची के लगभग दो करोड़ 89 लाख (18.70 प्रतिशत) नाम हट गये हैं।

मसौदा सूची को लेकर छह फरवरी तक दावे और आपत्तियां दाखिल करायी जा सकेंगी। इसके साथ ही अब अधिकारी उन मतदाताओं को नोटिस भी जारी कर सकते हैं जिनके बारे में जांच और कुछ प्रमाण की आवश्कता है। राज्य की नयी सूची छह मार्च को प्रकाशित की जाएगी।

- **उत्तर प्रदेश की पिछली मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम थे। नई सूची में मतदाताओं के नाम घट कर 12.56 करोड़ रह गए हैं। मृत्यु, अनुपस्थिति, स्थाई रुप से राज्य के बाहर होने तथा एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत होने के कारण 18.70 प्रतिशत नाम सूची से बाहर हुए।**

राज्य में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के लिए आधार बनायी गयी पिछली मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी जो आज जारी नयी सूची के मसौदे में 12.56 करोड़ रह गई है। मृत्यु, अनुपस्थिति, राज्य से स्थायी रूप से बाहर जाने या एक से अधिक जगह पंजीकृत पाये जाने के कारण लगभग 18.70 प्रतिशत नाम सूची से बाहर हो गये हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को सूची का मसौदा किया।

बड़ी साजिश के साथ हुई सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी

नई दिल्ली, 06 जनवरी। सबरीमला मंदिर से सोना चोरी किए जाने के मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने केरल हाइकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि पूरी योजना के साथ रची गई बड़ी साजिश थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी, पंकज भंडारी, और बेल्लारी के सोना व्यापारी गोवर्धन इस साजिश के अहम किरदार थे। एसआइटी का कहना है कि आरोपियों ने जांच एजेंसियों से बचने के लिए हर कदम पहले से तय किया था। जांच में सामने आया कि अक्टूबर 2025 में बेंगलुरु में एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें चोरी की योजना के साथ-साथ पकड़े जाने की स्थिति में क्या करना है, इस पर भी चर्चा हुई थी। मंदिर के गर्भगृह से सोना बेहद चालाकी से निकाला गया।

सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सबसे लम्बे समय मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया

मैसूरु, 06 जनवरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम कर पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने मंगलवार को अपना कार्यकाल पूरा करने का भरोसा जताया और लोगों को न्याय मिलने तक सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने का वादा किया।

सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा, "मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने का भरोसा है। इस पर हालांकि आखिरी फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का होगा।" उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अर्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने सात साल और 239 दिन तक पद संभाला था। उन्होंने कहा, "समाज में जब तक असमानता रहेगी, मेरा ध्यान लोगों की सेवा करने पर रहेगा। मुझे मुख्यमंत्री के

- **उन्होंने कार्यकाल पूरा करने पर भी भरोसा जताया।**

तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने का पूरा भरोसा है। इस मामले पर आखिरी फैसला हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का होगा।" सिद्धारमैया को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों से राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो पार्टी के भीतर इस पद को बराबरी के फॉर्मूले के आधार पर अब अपने नेता को शीर्ष पद पर बिठाने के लिए जोर-शोर से वकालत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह भी साफ किया कि वह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा, "यह उपलब्धि सिर्फ लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हुई है।

'चुनाव आयोग को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है'

आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में कई राज्यों की याचिका पर दलील दी

नई दिल्ली, 06 जनवरी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का पूरा अधिकार और क्षमता है। साथ ही, यह उसकी सांविधानिक जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में दर्ज न हो। आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह दलील रखी।

पीठ ने उन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में आयोग की शक्तियों की सीमा, नागरिकता और मतदान के अधिकार से जुड़े सांविधानिक सवाल उठाए गए हैं।

वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्य के तीनों अंगों के सभी प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की

- **वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता के रुप में दर्ज नहीं हो।**

नियुक्ति से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 124(3) का भी हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की एक मुख्य शर्त यह है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। द्विवेदी ने कहा, सभी अहम नियुक्तियां तभी हो सकती हैं जब व्यक्ति भारतीय नागरिक हो।

संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब संविधान नागरिक शब्द का इस्तेमाल करता है, तो इसकी जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची में कोई भी विदेशी शामिल न हो, यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि चुनाव आयोग का काम राजनीतिक दलों की बयानबाजी का जवाब देना नहीं है। उन्होंने कहा, हम राजनीतिक दलों पर टिप्पणी नहीं कर रहे। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि मतदाता सूची में कोई विदेशी न हो। यह देखना जरूरी है कि हमारे पास यह शक्ति और क्षमता है।

तीन सप्ताह से रुसी कच्चा तेल नहीं खरीदा- रिलायंस

ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि रुसी तेल के तीन टैंकर सिक्का पोर्ट की ओर जा रहे हैं

नई दिल्ली, 06 जनवरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसने लगभग तीन सप्ताह से किसी तरह का रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदा है और जनवरी में भी किसी तरह की खरीददारी की उम्मीद नहीं है।

दरअसल, रिलायंस का यह स्पष्टीकरण ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें उसने डेटा एनालिटिक्स फर्म केप्लर के हवाले से कहा था कि कम से कम तीन टैंकर (इसमें लगभग 22 लाख बैरल यूराल) सिक्का पोर्ट की ओर जा रहे हैं। इसी पोर्ट

- **इस रिपोर्ट के बाद रिलायंस के शेयरों में एक दिन में चार प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई थी।**

से जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लैक्स अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में बताए गए तीनों कार्गो शायद बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी के लिए थे। इस रिपोर्ट का असर रिलायंस के शेयरों पर भी दिखाई दिया है और पिछले आठ महीनों के दौरान उसके शेयरों में एक दिन की सबसे बड़ी यानी चार प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का वैल्यूएशन 94,389 करोड़ रुपये कम हो गया। 20 नवंबर, 2025 को रिलायंस ने कहा था कि उसने जामनगर स्थित अपनी निर्यात वाली रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल रोक दिया है, क्योंकि कंपनी यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे पहले, रिलायंस भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार थी, जिसे वह जामनगर में अपने बड़े आयल रिफाइनिंग कॉम्प्लैक्स में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदलती है। यह कॉम्प्लैक्स दो रिफाइनरियों से बना है। एक एसईजेड यूनिट जिससे यूरोपिय यूनियन, अमेरिका और दूसरे विदेशी बाजारों में ईंधन निर्यात किया जाता है। एक पुरानी यूनिट है जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार में आपूर्ति करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी थी कि अगर नई दिल्ली रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने में नाकाम रहती है तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है।

'सतत उत्सर्जन प्रणाली नहीं लगाने वाले उद्योग बंद होंगे'

नई दिल्ली, 06 जनवरी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अब तक आनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीइएमएस) न लगाने

- **वायु प्रदूषण से निपटने के लिये केन्द्र सरकार ने सख्त कदम उठाये।**

वाली दिल्ली एनसीआर की औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। कार्रवाई की शुरूआत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से होगी।

केन्द्रीय मंत्री ने यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर की औद्योगिक इकाइयों को 31 दिसंबर तक सतत उत्सर्जन प्रणाली लगाने के लिए दी गई समय-सीमा खत्म होने के बाद दिए हैं। ऐसे करीब साढ़े तीन हजार औद्योगिक इकाइयों को पहले नोटिस दिया गया था। बताया जाता है कि लगभग एक हजार इकाइयों ने निर्देश का पालन कर लिया है लेकिन अभी भी ढ ाई हजार इकाईयां हैं। अब उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई शुरू होगी।

केन्द्रीय मंत्री यादव ने पिछले दिनों में लगातार वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारियों को लेकर अलग अलग राज्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को राजस्थान और पंजाब के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने आगे बताया, "उन पर इलाज का असर हो रहा है और उन्हें एंटीबायोटिक तथा अन्य सपोर्टिव दवाएं दी जा रही हैं।" डॉ. स्वरूप ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला इलाज कर रहे डॉक्टर उनकी हालत में सुधार को देखकर लेंगे। एक-दो दिन में उनकी अस्पताल से छुट्टी हो सकती है।

सोनिया गांधी इस समय राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। वे 2024 की शुरुआत में निर्विरोध चुनी गई थीं और उन्होंने अप्रैल 2024 में उच्च सदन में अपने पहले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा खाली की गई सीट पर चुनी गई थीं। वे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं और भारतीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं।

पिछले कई वर्षों से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में, खासकर सर्दियों के दौरान, वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर रहा है। लोग सांस से जुड़ी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं की शिकायत करते रहे हैं। मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली की वायु गुणवत्ता "खराब" श्रेणी में बनी रही। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के "समीर" ऐप के अनुसार, शहर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इन्डैक्स (एक्यूआई) 293 को दर्ज किया गया।

जेएनयू में मोदी व शाह के खिलाफ नारेबाजी

नयी दिल्ली, 06 जनवरी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने के एक दिन बाद छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध-प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें जेएनयू परिसर के अंदर इमाम और खालिद को जमानत नहीं मिलने के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन दिखाया गया है। इसमें छात्र सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।

- **उमर खालिद व शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने के बाद छात्रों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया।**

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये विवादित नारे जेएनयू में टुकड़े-टुकड़े गैंग द्वारा लगाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के कुछ नेताओं पर खालिद और इमाम के पक्ष में बयान देकर सभी हदें पार करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी संस्कृति से जुड़े छात्र अब मोदी और शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पूनावाला ने दावा किया कि अदालत के फैसले का विरोध करते हुए उदित राज, वृंदा करात, हुसैन दलवई और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के कुछ नेताओं ने आरोपियों को निर्दोष बताया है।

चिनाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस मंजूरी पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908